न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
02 / 2015	20.01.2015	8.01.2024

पीठासीन अधिकारी–विजेन्द्र कुमार मीणा (आर.ए.एस.)

उनवान

1– देवीलाल आत्मज स्व0धन्नालाल जाति चमार लश्करी निवासी मुक्तिमार्ग नयापुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0 (मृतक) जर्ये कायम–मुकाम
1/1 देवऋषि पुत्र स्व0 देवीलाल
1/2 नरेन्द्र वर्मा पुत्र स्व0 देवीलाल
1/3 उर्मिला पुत्री स्व0 देवीलाल (नाम डिलिट)
1/4 गुलाब बाई पत्नी स्व0 देवीलाल (नाम डिलिट)
1/5 उषा पुत्री स्व0 देवीलाल (नाम डिलिट)
जाति लश्करी निवासी पंचमुखी हनुमान मन्दिर के पास, मुक्ति मार्ग, नयापुरा कोटा
(वादीगण)

बनाम

1– तेजपाल पुत्र स्व0 जमनालाल
2– किशनगोपाल पुत्र स्व0 जमनालाल
3– कमल कुमार पुत्र स्व0 जमनालाल
4– बोधराज पुत्र स्व0 जमनालाल
5– शकुन्तला पुत्री स्व0 जमनालाल (नाम डिलिट)
6– धनकुवंर पुत्री स्व0 जमनालाल (नाम डिलिट)
जाति लश्करी निवासी म.नं. च–11, अम्बेडकर कॉलोनी कुन्हाडी कोटा
7– दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा
(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से – श्री प्रमोद चौधरी एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से– श्री राहुल चौधरी एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट बाबत बंटवारा एवं इन्द्राज दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु

निर्णय

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–
संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि
1– यह कि ग्राम चींसा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 238 की 1.85 हेक्टर, खसरा नम्बर 239 की 0.34 हेक्टर , कुल 2 किता की 2.19 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 संलग्न है।

यह कि ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 81 की 1.89 हेक्टर, खसरा नम्बर 94 की 1.90 हेक्टर , कुल 2 किता की 3.79 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 संलग्न है।

3– यह कि वादी व प्रतिवादीगण के परिवार का राजरा निम्न प्रकार है

धन्नालाल

देवीलाल — जमनालाल

मिश्रीलाल (लाओलाद फोत)

तेजपाल किशनगोपाल कमल बोधराज शकुन्तला धनकुवर

4– यह कि उक्त दोनों गांवों की भूमि पूर्व में धन्नालाल जी के खाते में दर्ज थी। धन्नालाल जी की मृत्यु के बाद उनके तीनों पुत्र मिश्रीलाल, देवीलाल व जमालाल के नाम दर्ज हुई। उपरोक्त भूमियों में मिश्रीलाल का 1/3 हिस्सा, देवीलाल वादी का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी नं0 1 ता 6 के पिता जमनालाल का 1/3 हिस्सा थरा ओर इस अनुसार खातेदारान मारैके पर काबिज काश्त चले आ रहे थे।

5– यह कि विवादित भूमियों के संबंध में तीनों खातेदार मिश्रीलाल, देवीलाल व जमनालाल के मध्य मौखिक विभाजन वर्ष 1982 में ही हो गया था। किन्तु बाद में एक आपसी बंटवारा भूमि का दिनांक 6.06.1987 को आलेखित किया गया था जिसके तहत ग्राम चींसा की 14 बीघा रोड के सहारे की वादी देवीलाल के हिस्से में आयी व ग्राम ककरावदा की 14 बीघा भूमि गांव के पास वाली प्रतिवादी नं0 1 ता 6 के पिता जमनालाल जी के हिस्से में आयी, तथा 11 बीघा का खेत मिश्रीलाल जी के हिस्से में आयी ओर इसी अनुसार उक्त खातेदारान अपने जीवनकाल तक काबिज काश्त चले आ रहे थे। प्रतिवादी नं0 1 ता 6 को उक्त पारिवारिक राजीनामें की पूर्ण जानकारी है तथा प्रतिवादीगण उसके विपरीत कथन करने से एस्टोप्ड है।

6– यह कि उक्त बंटवारे के बाद मिश्रीलाल जी दिनांक 08.09.1999 को लाओलाद फोत हो गये यहां यह लिखना आवश्यक है कि मिश्रीलाल जी ने अपने जीवन काल में अपनी भूमि के बाबत कोई वसीयत व अन्य किसी प्रकार का कोई प्रलेख लिख कर नहीं गये इस कारण राजस्व रिकार्ड में से उनका नाम खाते से हटा दिया गया ओर राजस्व रिकार्ड में जमनालाल व वादी देवीलाल का नाम 1/2– 1/2 हिस्से पर दर्ज किया गया। जिसकी पूर्ण जानकारी प्रतिवादीगण को है।

7– यह कि विभाजन के अनुसार काबिज काश्त होने के बाद मिश्रीलाल जी की भूमि को आधी–आधी जमनालाल व देवीलाल ने बांट ली एवं मिश्रीलाल जी की मृत्यु के बाद ग्राम चींसा की भूमि 2.19' हेक्टर भूमि एवं ग्राम ककरावदा की मिश्रीलाल जी के हिस्से की आधी भूमि 5 बीघा यानी 0.80 हेक्टर भूमि पर वादी का ही कब्जा काश्त पिछले 28 वर्षों से अधिक समय से चला आ रहा है जिसका वादी खातेदार घोषित होने का अधिकारी है, तथा पूर्व में हुये विभाजन के अनुसार राजस्व रिकार्ड में विभाजन करा कर अपने अलग खाते दर्ज कराने का अधिकारी है।

8– यह कि इसी अनुसार मिश्रीलाल जी की मृत्यु के बाद प्रतिवादी नं0 1 ता 6 ग्राम ककरावदा की अपने विभाजन में प्राप्त भूमि व मिश्रीलाल जी के हिस्से की शेष भूमि यानी कुल 2.99 हेक्टर भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। जिसके प्रतिवादी नं0 1 ता 6

तेदार घोषित होने के अधिकारी है। विभाजनल के वाद खातेदार जमनालाल जी का व उनकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी नं0 1 ता 6 का कभी भी ग्राम चींसा की भूमि पर कब्जा काश्त नहीं रहा है ओर न है। प्रतिवादी नं0 1 ता 6 का ग्राम चींसा की भूमि में किसी प्रकार का हक व अधिकार शेष नहीं हे।

9– यह कि वर्तमान में दोनों गांवों की भूमिया शामलाती दर्ज चली आ रही है इस कारण वादी ग्राम चींसा की 2.19 हेक्टर भूमि में से प्रतिवादी नलं0 1 ता 6 का नाम डिलीट कराने व ग्राम ककरावदा की खसरा नम्बर 81 की भूमि में से 0.80 हेक्टर भूमि का खातेदार घोषित होने व अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है तथा ग्राम ककरावदा की शेष 2.99 हेक्टर भूमि पर से वादी का नाम हटाया जाकर, प्रतिवादी नं0 1 ता 6 का ही नाम रखा जाना आवश्यक है।

10– यह कि ग्राम चींसा की सम्पूर्ण भूमि पर व ग्राम ककरावदा की 0.80 हेक्टर भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा हे। तथा वादी ने अपनी उक्त भूमि कोू मुनाफे पर जुपा रखी है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि शामलाती दर्ज होने के कारण प्रतिवादी नं0 1 ता 6 आये दिन वादी के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत पैदा करते है। जिसका कि प्रतिवादी नं0 1 ता 6 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

11– यह कि वादी पारिवारिक विभाजन के अनुसार मौके पर ग्राम चींसा की सम्पूर्ण आराजी व ककरावदा की 0.80 हेक्टर भूमि पर स्वंय व उसका मकुनाफेदार काबिज काश्त है किन्तु रिकार्ड में भूमियां शामलाती दर्ज होने व ग्राम चींसा की भूमियों की कीमते काफी बढ जाने से प्रतिवादी नं0 1 ता 6 के मन में बदनियती आ गयी है ओर रिकाडर्छ के अनुसार भूमियों को रहन बेचान करने पर आमादा है इस हेतु प्रोपर्टी डीलरों से मिली भगत कर वादी के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत पैदा करने पर आमादा है, और आये दिन प्रोपर्टी डीलर वादी व उसके मुनाफेदार को भूमि छोडने की व उसके कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने की धमकी देते रहते है, इस पर वादी ने पूर्व में हुये विभाजन के अनुसार राजस्व रिकार्ड में विभाजन कराने की कहने पर इन्कार कर दिया , दिनांक 16.01.2015 को प्रतिवादीगण 1 ता 6 व उनके प्रतिनिधि ग्राम चींसा की भूमि पर आये ओर वादी व उसके मुनाफेदार के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा किया तथा वादी व उसके मुनाफेदार द्वारा बोई हुई फसल को काट लेने की धमकी दी। जिसका कि प्रतिवादीगण व उनके प्रतिनिधियों को कोई अधिकार प्राप्त नही है।

12– यह कि उक्त परिस्थिति में वादी के लिये न्यायालय में प्रतिवादीगण के खिलाफ खातेदारी घोषणा, विभ्राजन व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश करना आवश्यक हो गया है जिस हेतु यह वाद पेश है।

13– यह कि प्रतिवादी नं0 7 स्टेट ऑफ राजस्थान लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है, वादी के पास धारा 80 सी पी सी का नोटिस देने का समय नहीं होने से यह वाद 80 (2) जाप्ता दीवानी के तहत प्रस्तुत है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावेः–

(1) कि ग्राम ग्राम चींसा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 238 की 1.85 हेक्टर, खसरा नम्बर 239 की 0.34 हेक्टर , कुल 2 किता की 2.19 हेक्टर भूमि का एवं ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 81 की भूमि में से 0.80 हेक्टर, कुल की 2.99 हेक्टर भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा ग्राम चींसा के राजस्व रिकार्ड में से प्रतिवादी नं0 1 ता 6 का नाम डिलीट किया जावे।

कि ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 81 की 1.89 क्टर, खसरा नम्बर 94 की 1.90 हेक्टर कुल दो किता की 3.79 हेक्टर भूमि में से 0.80 हेक्टर भूमि वादी के नलाम दर्ज की जावे तथा शेष 2.99 हेक्टर भूमि पर वादी का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी नं0 1 ता 6 को खातेदार दर्ज रखा जावे।

(3) कि चींसा तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 238 की 1.85 हेक्टर, खरसरा नम्बर 239 की 0.34 हेक्टर कुल दो किता की 2.19 हेक्टर भूमि एवं ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 81 की 1.89 हेक्टर व खसरा नम्बर 94 की 1.90 हेक्टर कुल 3.79 हेक्टर भ्रूमियों को पूर्व में हुये विभाजन के अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जावे।

(4) कि स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिवादी नं0 1 ता 6 ग्राम चींसा तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 238 की 1.85 हेक्टर , खसरा नम्बर 239 की 0.34 हेक्टर कुल दो किता की 2.19 हेक्टर भूमि एवं ग्राम ककरावदा तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 81 की 0.80 हेक्टर भूमि को वादी व उसके मुनाफेदार को काश्त करने से नहीं रोके ओर वादी व उसके मुनाफेदार के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजामत पेदा नहीं करें तथा उक्त भूमि को रहन बेचान नहीं करें।

वादी की ओर से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न हैः–

1– नकल आपसी सहमति से बंटवारा हुआ की छाया प्रति
2– नकल नक्शा ट्रेस ग्राम चींसा
3– नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 ग्राम चींसा
4– नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 ग्राम ककरावदा
5– नकल शपथ पत्र मुकेश कुमार जी
6– नकल शपथ पत्र नाथूलाल जी

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादीगण की ओर से श्री राहुल चौधरी एडवोकेट द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल किया गया। वादी अधिवक्त की ओर से दिनांक 16.12.2019 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का वादी की मृत्यु होने पर पेश किया गया गया जो शामिल फाईल किया गया। वादी अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर वादी के कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लेने बाबत संशोधित टाईटल पेश किया जो पत्रावली में संलग्न है। वादीगण के अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उक्त वाद में वादीगण 1/3, 1/4, 1/5 द्वारा अपना हिस्सा वादीगण 1/1 व 1/2 के पक्ष में जर्ये रजिस्ट्रर्ड रिलीज डीड से हक त्याग कर दिया गया है, व प्रतिवादीगण 5 व 6 द्वारा भी अपना हिस्सा प्रतिवादीगण 1, 2, 3, 4 कें पक्ष में हक त्याग कर दिया गया है। इस लिए उक्त मुकदमें में वादीगण 1/3, 1/4, 1/5 व प्रतिवादी नं0 5 व 6 का नाम दावें में से डिलीट करने हेतु निवेदन किया गया, जिसे प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा स्वीकार गया जिसके उभय पक्षकारान के हस्ताक्षर आदेशिका पर किये जाने पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ताओं द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो शामिल फाईल किया गया। उभय पक्षकारान की ओर से दिनांक 27.10.2023 को राजीनामा निम्नानुसार प्रस्तुत किया गयाः–

यह कि उक्त उनवान का मुकदमा माननीय न्यायालय में जेरकार है जिसमें आज रीख पेशी नियत है।

2— यह कि उक्त मुकदमें में वर्णित आराजी ग्राम ककरावदा की खसरा नम्बर 94 रकबा 1.90 हेक्टर भूमि में दोनों पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से निम्न प्रकार बंटवारा हो गया है:

वादीगणः— देवऋषि पुत्र स्व0 देवीलाल लश्करी व नरेन्द्र वर्मा पुत्र स्व0 देवीलाल लश्करी के हिस्से में खसरा नम्बर 94 (उत्तर दिशा) रकबा 0.95 हेक्टर रहेगा।

प्रतिवादीः— तेजपाल , किशनगोपाल, कमल कुमार , बोधराज पुत्रांन स्व0 जमनालाल लश्करी के हिस्से में खसरा नम्बर 94 (दक्षिण दिशा) 0.95 हेक्टर रहेगा।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा खसरा नम्बर 94 की रकबा 1.90 हेक्टर का विभाजन उपरोक्तानुसार विभाजन कर मुताबिक राजीनामा अनुसार अंतिम डिक्री जारी करें।

प्रकरण को उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा प्रस्तुत करने पर पत्रावली को बहत पर नियत किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। आदेशिका पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर करवाये गये। वादीगण की पहिचान वादी अधिवक्ता द्वारा करवायी गयी तथा प्रतिवादीगण की पहिचान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा करवायी गयी।

अतः उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने उपस्थित होकर प्रस्तुत राजीनामा पर सहमति प्रकट करने एवं दावा डिक्री किये जाने का ओदश पारित किया जाने पर सहमति व्यक्त की है। अतः वादीगण का वाद पत्र प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

बहस उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनी गयी। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने आपसी सहमति से सहमति पूर्वक प्रस्तुत राजीनामा अनुसार पृथक पृथक खाते दर्ज कर वाद डिक्री करने पर कोई आपत्ति नही की है। राजस्व रिकॉर्ड एवं वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं राजीनामा का गहन अध्ययन व मनन किया गया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र प्रस्तुत राजीनामा अनुसार स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण का वाद पत्र वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य सहमति राजीनामा होने पर स्वीकार किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य सहमति से प्रस्तुत राजीनाम अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण को पृथक पृथक खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार दीगोद को निर्देशित किया जाता है कि सहमति से उक्त राजीनाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार फाईनल डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 8.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद